न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः— 06/2016

उनवान प्रकरण

1—मानकचन्द पुत्र गुलाबसिंह आयु करीब 65 साल
2—गोपालसिंह पुत्र श्री रामस्वरूप आयु करीब 50 साल
3—मुरारीलाल पुत्र श्री वैनीराम आयु करीब 45 साल
। जातिगण कुशवाह
। निवासीगण ग्राम मल्हैला
। मालौनीपंवार तह0सैपऊ
जिला धौलपुर
.....प्रार्थीगण

बनाम

1—बाबूलाल पुत्र लाचारी जाति जाटव निवासी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2—बंशी पुत्र खुनखुनिया जाति जाटव निवासी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सैपऊ जिला धौलपुर
..... अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थीगण की ओर से — श्री बृजेन्द्र रावत एडवोकेट
अप्रार्थी सं01व 2 की ओर से — श्री अम्बरीष श्रीवास्तव एडवोकेट
अप्रार्थी सं03 की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 07.09.2018

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 489 रकवा 05 बीघा 05 विस्वा, 561 रकवा 02 बीघा 11 विस्वा, 581 रकवा 03 बीघा 07 विस्वा बॉके ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर पूर्व में चारागाह के नाम से दर्ज थी तथा चारागाह के उपयोग उपभोग में आती रही है। चारागाह भूमि को

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

किसी भी व्यक्ति को आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है। सम्वत 2046 में उक्त विववादित आराजी चारागाह के नाम से दर्ज थी चारागाह के उपयोग में आती थी। उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी के इन्द्राजों से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है और नही चारागाह की भूमि को अपने नाम आवंटन करा पाने के अधिकारी है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आवंटन अवैध रूप से जारी किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैरखातेदारी के इन्द्रांज पूर्णत अवैध व गैरकानूनी है। उक्त आराजीयात आज भी मौके पर खाली है जो चारागाह भूमि के उपयोग उपभोग में आ रही है अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा व अधिपत्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाकर विवादित आराजी जो अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी में दर्ज का रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे तथा उक्त आराजीयात को पुनःराजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज कराये जाने की प्रार्थीना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत 2067से 2070 किता दो ग्राम मालौनीपंवार, नकल जमाबन्दी सम्बत 2043 से 2046, नकल जमाबन्दी सम्बत 2047 से 2050, नकल नामान्तकरण संख्या 1009, नकल नामान्तकरण संख्या 1003 बांके ग्राम मालौनीपंवार पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से श्री अम्बरीष श्रीवास्तव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने अपना जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि अप्रार्थीगण के नाम जो गैरखातेदारी के आदेश किये गये है जो मुताविक कानून के किये गये है जो विधि सम्मत है जिसमें प्रीमियम राशि भरी गई है एवं उक्त भूमि चारागाह से परिवर्तित होकर के कमाण्ड एरिया में दर्ज की गई है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण कब्जा है जिस पर खेती हो रही है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थीगण को अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण प्रीमियम पर दिनांक 18.5.1989 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई है ऐसा करने का अधिकार राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को है। प्रार्थीगण जो कि स्वर्ण जाति के लोग है जो अप्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। इस बजह से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स गलत, आधारहीन तथ्यों के आधार पर काल्पनिक रूप से दुर्भावना से प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नहीं हुआ।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में असल पटटा 18.5.1989 आवंटन बावूलाल पुत्र लाचारी एवं असल पटटा आवंटन वंशी पुत्र खुनखुनिया दिनांक 18.5.1989 आवंटन आदेश दिनांक 18.5.1989 बावूलाल व वंशी के पेश किये है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी पूर्व में राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी के इन्द्राज गलत व अवैध रूप से दर्ज किये गये है। उक्त विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिवन्धित आराजी है। चारागाह भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण के नाम जो आवंटन पटटे है वह किस क्रमांक व दिनांक को जारी किये गये है अंकित नहीं है। कथित आवंटन पटटे अवैध व शून्य है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त भूमि अप्रार्थीगण को अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण प्रीमियम पर दिनांक 18.5.1989 को आवंटित की गई है। अप्रार्थीगण के नाम जो गैरखातेदारी के आदेश किये गये है जो मुताविक कानून के किये गये है जो विधि सम्मत है जिसमें प्रीमियम राशि भरी गई है एवं उक्त भूमि चारागाह से परिवर्तित होकर के कमाण्ड एरिया में दर्ज की गई है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण कर कब्जा है जिस पर खेती हो रही है। प्रार्थीगण जो कि स्वर्ण जाति के लोग है जो अप्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स सारहीन होने के कारण खारिजी योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 489 रकवा 05 बीधा 05 विस्वा, 561 रकवा 02 बीधा 11 विस्वा, 581 रकवा 03 वीधा 07 विस्वा बॉके ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ पूर्व में सम्वत 2046 में चारागाह के नाम से दर्ज थी। चारागाह भूमि को किसी भी व्यक्ति को आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी के इन्द्राजों से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है और ना ही चारागाह की भूमि को अपने नाम आवंटन करा पाने के अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैरखातेदारी के इन्द्रांज पूर्णत अवैध व गैरकानूनी है। उक्त आराजीयात आज भी मौके पर खाली है जो चारागाह भूमि के उपयोग उपभोग में आ रही है अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा व अधिपत्य नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नकल जमाबन्दी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ सम्बत 2043 से 2046 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 489, 561, 581 चारागाह के रूप में दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दिनांक 18.05.1989 को उक्त विवादित आराजी की किस्म सिवायचक नहरी दोयम के

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

रूप आवटिंत की गई है। नामान्तरण संख्या 1003 दिनांक 16.10.1989 एवं नामान्तकरण संख्या 1009 दिनांक 3.11.1989 से उक्त अप्रार्थीगण को प्रीमियम की एक किस्त जमा कराने पर गैरखातेदारी का नामान्तकरण खोला गया है। पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेशानुसार विवादित आराजी का अप्रार्थीगण के नाम विधिवत आवंटन होना प्रतीत होता है। चूंकि जमाबंदी सम्बत 2043 से 2046 में उक्त विवादित आराजी की किस्म चारागाह दर्ज है जबकि नामान्तकरण संख्या 1003 व 1009 में सिवायचक लगानी किस्म नहरी दोयम दर्ज है। चारागाह से किस्म परिवर्तन का कोई आदेश दोनो ही पक्षों ने पेश नहीं किया है। इस बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि कमाण्ड क्षेत्र में चारागाह जमीन राज्य सरकार के आदेश से दर्ज हुई है परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई आदेश पेश नहीं किया गया।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स खारिज किया जाता है। तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने स्तर पर उक्त प्रकरण का परीक्षण करें। उक्त विवादित आराजी के चारागाह से सिवायचक किस्म परिवर्तन बावत जॉच करे तहसीलदार सैपऊ बाद जॉच प्रकरण रैफरेन्स योग्य बनता हो तो मय समस्त रिकार्ड के इस न्यायालय को रैफरेन्स हेतु यथाशीध्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner